

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2897]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940

No. 2897] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का. आ. 3683(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 419 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोच्ची स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोच्ची न्यायपीठ का गठन करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1935(अ) तारीख 01 जून, 2016 का और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- 2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,-
 - (i) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ संख्यांक (4) में, प्रविष्टियां "(1) केरल राज्य" और "(3) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र" को लोप किया जाएगा;
 - (ii) क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"13	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण कोच्ची	कोच्ची	(1) केरल राज्य
	न्यायपीठ		(2) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र"।

3. यह अधिसूचना 01 अगस्त, 2018 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. ए-45011/44/2018-प्रशा.IV]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1935(अ) तारीख 1 जून, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और संख्या का.आ. 345(अ) तारीख 3 फरवरी, 2017 संख्या का.आ. 3145(अ) तारीख 28 जून, 2018 और संख्या का.आ. 3430(अ) तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा तत्पश्चात संशोधित की गई थी।

4337 GI/2018 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

- **S.O.** 3683(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 419 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes the National Company Law Tribunal, Kochi Bench at Kochi and for the said purpose hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs number S.O. 1935 (E), dated the 1st June, 2016, namely:—
- 2. In the said notification, in the Table, -
 - (i) against serial number 6, in column number (4), the entries "(1) State of Kerala" and "(3) Union territory of Lakshadweep", shall be omitted;
 - (ii) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"13	National Company Law	Kochi	(1)	State of Kerala.
	Tribunal, Kochi Bench		(2)	Union territory of Lakshadweep.".

3. This notification shall come into force on the 1st day of August, 2018.

[F.No. A-45011/44/2018-Ad.IV]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1935(E), dated the 1st day of June, 2016 and subsequently amended vide number S.O. 345(E), dated the 3rd February, 2017, number S.O. 3145 (E), dated the 28th June, 2018, and number S.O. 3430 (E), dated the 12th July 2018.